न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 41 / 2022

अपीलांटगणगण	वनाम	रेस्पोडेन्टस
1.कमला पत्नि श्री वीरवलराम पुत्री हरिया जाति भील निवासी फलोदी हाल निवासी भीलों की ढाणी, हंसादेश, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर हाल फलौदी		1. नारायण पुत्र हरिया 2. सुखाराम पुत्र हरिया 3. मदाराम उर्फ मदन पुत्र हरिया सभी जाति भील निवासी पवन उर्जा पंखों के पास, फलौदी,जिला जोधपुर हाल फलौदी 4. श्री तहसीलदार फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांकित 30.01.1999 आदेश तहसीलदार, फलौदी

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री ललित कुमार जोशी एवं अन्य ।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 ता 03 की ओर से — अधिवक्ता श्री पूर्ण प्रकाश बोहरा।

निर्णय दिनांकः— 21/02/2024

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 30.01.199 आदेश तहसीलदार फलौदी विरूद्व अपीलांट द्वारा मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।
2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कस्वा फलोदी के खेत खसरा नंवर 631 रकवा 77.16 वीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ता 03 के पिता हरिया पुत्र मुकना जाति भील व अन्य के नाम से संयुक्त खातेदारी में थी। जिसमें हरिया का 1/3 हिस्सा था। हरिया के फौत होने पर उक्त भूमि को रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ता 03 ने अपने नाम नामान्तरकरण करवा दिया। अपीलान्ट कमला, हरिया की जायन्दा पुत्री है इसलिये अपीलाधीन भूमि में अपीलान्ट का हक व हिस्सा निहित है। अपीलान्ट कमला, हरिया की पुत्री है तथा हरिया की पत्नि हवाड़ी का स्वर्गवास हो चुका है इसलिये हरिया की भूमि में अपीलान्ट प्रथम श्रेणी वारिसान है इसलिए अपीलान्ट का हक व हिस्सनिहित होने से एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करते समय वक्त हरिया के समस्त वारिसान को नोटिस नही दिया न ही सुनवाई का अवसर दिया एवं न ही हरिया के समस्त वारिसान की जॉच की इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य होने से खारिज किया जाने का निवेदन किया। अपील क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट ने अपील की म्याद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।
3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री ललित कुमार जोशी वगैरह के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलवी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार फलोदी से मूल रेकर्ड एवं मौका जांच रिपोर्ट तलव किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये। डाक रसीदे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को वहस में रखा गया।
4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी वहस में वताया कि कमला, हरिया के की जायन्दा संतान है हरिया क पत्नि हवाडी का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए हरिया की भूमि में अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी का वारिसान है, इसलिए अपीलान्ट का हक व हिस्सा निहित होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करते समय वक्त हरिया के समस्त वारिसान को नोटिस नहीं दिया न ही सुनवाई का अवसर दिया एवं न ही हरिया के समस्त वारिसान की जॉच की इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया जावे। अपीलाधीन नामान्तरकरण में पुत्री का नाम से नामान्तरकरण नही भरा। जिसकी जानकारी

होने पर अन्दर म्याद अपील पेश की। अपील पेश करने में हुई देरी के लिए धारा 5 म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

5. रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 03 के अधिवक्ता श्री पूर्ण प्रकाश बोहरा ने अपीलाधीन अपील को स्वीकार किया।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मूल नामान्तरकरण अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र बहस धारा 5 म्याद अधिनियम के संबध में कोई विपरित कथन/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। जबकि अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रसंगत नामान्तरकरण की जानकारी 14.07.2022 को अवगत होना बताया एवं उसके पश्चात दिनांक 10.08.2022 को अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्टस के अभिवाषक द्वारा प्रार्थना पत्र एवं अपील के तथ्यों को स्वीकार किया गया हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

7. प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण आदेश संख्या 1003 पर पारित आदेश के विरुद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्री रही है। यह दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत तथ्य है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक खातेदार की खातेदारी भूमि में पुत्री का भी हक हिस्सा बनता हैं प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश जारी करते समय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलोदी द्वारा मृतक हरिया के वारिसान की जांच समुचित रूप से किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत नामान्तरकरण आदेश 30.01.1999 अपास्त योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में अपीलाधीन आदेश निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार फलौदी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण में संबधित पक्षकारों की सुनवाई कर एवं मृतक हरिया के वारसानों की समुचित जांच कर पुनः विधि सम्मत एवं न्यायोचित आदेश 2 (दो) माह की अवधि में पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/2/2024 सरेइजलास सुनाया गया।

हरफूल लाल अटल
फलोदी (राज.)
जिला कलक्टर, फलोदी